"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी.2-22-छत्तीसगढ़ गजट / 38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-05-2001."

पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2012-2015."



छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)

प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 506] रायपुर, गुरुवार, दिनांक 25 सितम्बर 2014—आश्विन 3, शक 1936

कृषि विभाग
मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

अधिसूचना

क्रमांक/7222/एफ-30/02/2011/14-2.—यत: राज्य सरकार ने मध्यप्रदेश कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1960 (क्रमांक 19 सन् 1960) की धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन जारी अधिसूचना क्रमांक/8092-12680/चौदह-1, भोपाल दिनांक 29 नवम्बर, 1969 द्वारा जिला दुर्ग के समस्त राजस्व एवं वन ग्रामों को समाविष्ट करते हुए दुर्ग मण्डी क्षेत्र, जो इसमें इसके पश्चात् "दुर्ग मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के रूप में निर्दिष्ट है, को इस अधिसूचना की अनुसूची-एक में उल्लेखित अनुसार स्थापित की थी ;

और यत: राज्य सरकार, छत्तीसगढ़ कृषि उपज मण्डी अधिनियम, 1972 (क्र. 24 सन् 1973) की धारा 70 की उप-धारा (1) के खण्ड (चार) के अधीन प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग में लाते हुए, इस अधिसूचना की अनुसूची-दो में उल्लिखित अनुसार कृषि उपज मण्डी दुर्ग के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से गुंडरदेही तहसील को अपवर्जित करने एवं इसे बालोद मण्डी के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित करने हेतु प्रस्तावित करती है, जिसे उक्त अधिनियम की धारा 70 की उप-धारा (1) द्वारा अपेक्षित किये गये अनुसार, उन समस्त व्यक्तियों, जिनके कि इससे प्रभावित होने की संभावना है, की जानकारी के लिये एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है तथा एतद्द्वारा सूचित किया जाता है कि उक्त प्रारूप पर इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से 6 सप्ताह के अवसान के पश्चात् विचार किया जावेगा ;

कोई आपत्ति अथवा सुझाव, जो "कृषि उपज मण्डी समिति, दुर्ग के अधिसूचित मण्डी क्षेत्र" के प्रस्तावित परिवर्तन के संबंध में, किसी व्यक्ति से, विनिर्दिष्ट कालावधि के पूर्व, अपर मुख्य सचिव एवं कृषि उत्पादन आयुक्त, छत्तीसगढ़ शासन, कृषि विभाग, मंत्रालय, नया रायपुर (कक्ष क्र. एस-4-4) अथवा प्रबंध संचालक, छ.ग. राज्य कृषि विपणन (मण्डी) बोर्ड, बीज भवन, जी. ई. रोड, तेलीबांधा, रायपुर, के कार्यालय में कार्यालयीन समय में प्राप्त हो, पर छत्तीसगढ़ शासन द्वारा सम्यक् रूप से विचार किया जायेगा.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

अनुसूची-एक

अधिसूचना क्रमांक 8092/12680-चौदह-1 भोपाल, दिनांक 29 नवम्बर, 1969 द्वारा अधिसूचित कृषि उपज मण्डी समिति दुर्ग के वर्तमान मण्डी क्षेत्र में, दुर्ग जिले के तहसील दुर्ग सम्पूर्ण राजस्व एवं वन ग्रामों सहित समस्त क्षेत्र सम्मिलित है.

अनुसूची-दो

राज्य सरकार, कृषि उपज मण्डी समिति, दुर्ग के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र से गुंडरदेही तहसील को अपवर्जित करने तथा इसे कृषि उपज मण्डी समिति, बालोद के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में सम्मिलित करने के अपने आशय को इस अधिसूचना के माध्यम से संसूचित करती है,

अतएव, परिवर्तन पश्चात् कृषि उपज मण्डी समिति, दुर्ग के वर्तमान अधिसूचित मण्डी क्षेत्र में, दुर्ग जिले के तहसील दुर्ग, धमधा, पाटन के सम्पूर्ण राजस्व एवं वन ग्रामों सहित समस्त क्षेत्र सम्मिलित होंगे.

रायपुर, दिनांक 25 सितम्बर 2014

क्रमांक/7222/एफ-30/02/2011/14-2.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 348 के खण्ड (3) के अनुसरण में इस विभाग की अधिसूचना क्रमांक/7222/एफ-30/02/2011/14-2, दिनांक 25-09-2014 का अंग्रेजी अनुवाद राज्यपाल के प्राधिकार से एतद्द्वारा प्रकाशित किया जाता है.

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
प्रदीप कुमार दवे, संयुक्त सचिव.

Raipur, the 25th September 2014

NOTIFICATION

No./7222/F-30/02/2011/14-2.— Whereas, the State Government vide Notification No. 8092-12680-XIV-1, Bhopal, dated 29th November, 1969, issued under sub-section (1) of Section 3 of the Madhya Pradesh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1960 (No. 19 of 1960), established the market area of Durg comprising of all revenue and forest villages of Durg Tahsil of District Durg, hereafter refer to as "the present notified market area of Durg Mandi" as mentioned in Schedule-I of this notification ;

And whereas, the State Government in exercise of powers conferred the under clause (iv) of sub-section (1) of Section 70 of the Chhattisgarh Krishi Upaj Mandi Adhiniyam, 1972 (No. 24 of 1973) proposes to exclude Tahsil Gunderdehi from presently notified marked area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Durg and include the same in presently notified market area of Balod Mandi, as mentioned in Schedule-II of this notification, which is hereby, published as required under sub-section (2) of Section 70 of the said Act for information of all persons likely to be affected and notice is hereby given that the said draft shall be taken into consideration after the expiry of 6 weeks from the date of publication of this notification in the Official Gazette ;

Any objections or suggestions regarding proposed alteration of "the notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Durg", receive from any person before the specified period during office hours by the office of the Additional Chief Secretary & Agriculture Production Commissioner, Department of Agriculture, Government of Chhattisgarh, Mantralaya, Naya Raipur, (Room No. S-4-4) or Managing Director, Chhattisgarh State Marketing (Mandi) Board, Beej Bhawan, G. E. Road, Telibandha, Raipur Shall be duly considered by State Government.

By order and in the name of the Governor of Chhattisgarh,
PRADEEP KUMAR DAVE, Joint Secretary.

SCHEDULE-I

Existing market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Durg notified vide Notification No. 6819/12675-XIV-1, Bhopal, dated 29th November, 1969 is complete area inclusive of all revenue and forest villages of the Tahsil Durg of District Durg.

SCHEDULE-II

The State Government signifies its intention through this Notification to exclude Tahsil Gunderdehi from the presenlty notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Durg and include the same in the existing notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Balod ;

Therefore, after alteration presently notified market area of Krishi Upaj Mandi Samiti, Durg shall include complete area inclusive of all revenue and forest villages of Tahsil Durg, Dhamdha, Patan of District Durg.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय मुद्रणालय, रायपुर से मुद्रित तथा प्रकाशित - 2014.